न्यायालय लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर(S D O) पीपाड़ शहर(जोधपुर)
पीठासीन अधिकारी, शैतानसिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 303 / 2019

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
ग्राम पंचायत कोसाणा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता :– श्री मोहम्मद फारूख खान सिन्धी

निर्णय

दिनांक : 20.01.2020

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम कोसाणा के राजस्व गांव उदेशनगर पटवार क्षेत्र कोसाणा भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी ग्राम पंचायत कोसाणा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 1.9173 हैक्टयर किस्म गै.मु. भूमि आई हुई है जो वर्तमान जमाबन्दी मे अन्य खातेदारान के साथ में अंकित है। जिसको आगे प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी ग्राम पंचायत कोसाणा में स्थित उदेशनगर के खसरा नम्बर 551 जिसमें वर्षो पुरानी आबादी बसी हुई है जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में अन्य खातेदारान के जमाबन्दी में अंकित है जबकि उक्त खसरा गेर मुमकिन अंकित है जिस पर वर्षो पुरानी आबादी बसी हुई है साहुलियत अनुसार पुरानी आबादी बसी हुई है । प्रार्थी ग्राम पंचायत कोसाणा द्वारा समय समय पर खसरा नम्बर 551 में बसी हुई आबादी जो गै. मुमकिन ग्राम पंचायत की भूमि में बसी हुई है परन्तु उक्त खसरा नम्बर 551 जो वर्तमान में ग्राम पंचायत कोसाणा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जिसको ग्राम पंचायत कोसाणा के नाम दर्ज करने के लिए उक्त खसरा नम्बर 551 ग्राम उदेशनगर पटवार हल्का कोसाणा में स्थित खसरे को ग्राम पंचायत कोसाणा के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवाया जाकर रेकर्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम पंचायत कोसाणा में स्थित राजस्व ग्राम उदेशनगर के खसरा नम्बर 551 जो वर्तमान खाता सं. 39 व पुराना 409 के राजस्व रेकर्ड में अंकित है इसलिए उक्त खसरा नम्बर 551 जो कि गैर मुमकिन है जिसको राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत कोसाणा के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावें ।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल प्राप्त हुआ है । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेश नगर में खसरा नम्बर 551 रकबा 1.9173 हैक्टयर किस्म गै.मु.दर्ज है । जो वर्तमान में खातेदारो के नाम खातेदारी दर्ज है । वर्तमान में खसरा नम्बर 551 गै.मु. उदेश नगर में स्थित है । जिसमें पुरानी ढाणी बसी हुई है। उक्त खसरा नम्बर खातेदारी भूमि होने से ग्राम पंचायत कोसाणा की आबादी भूमि में दर्ज नही है । उक्त सेंटलमेंट से खातेदारी भूमि है जिसमें पुरानी आबादी (ढाणी) बसी हुई है । खातेदारो के सहमति होने पर उक्त भूमि का हस्तान्तरण ग्राम पंचायत कोसाणा के खाते में गै.मु.आबादी के रूप में किया जाना सम्भव है । ग्राम उदेशनगर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 551 रकबा 1.9173 हैक्टयर किस्म गै.मु. को सभी सहखातेदारान की सहमति से ग्राम पंचायत कोसाणा के खाते में हस्तान्तरित करना चाहते है जो राजस्व विभाग को कोई आपति नही है । अर्थात् जरिये रेकर्ड संशोधन (दुरूस्ती) उक्त खसरे की भूमि को ग्राम पंचायत कोसाणा के खाते में गै.मु. आबादी के रूप में हस्तान्तरित होती है तो राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नही है ।

हमने बहस वकुलाय सुनी, वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के बिन्दुओ को दोहराते हुए कहा कि ग्राम पंचायत कोसाणा में स्थित राजस्व ग्राम उदेशनगर के खसरा नम्बर 551 जो वर्तमान खाता सं. 39 व पुराना 409 के राजस्व रेकर्ड में अंकित है इसलिए उक्त खसरा नम्बर 551 जो कि गैर मुमकिन है जिसको राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत कोसाणा के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमाये जाने का निवेदन किया है । अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से राजकीय अधिवक्ता की हैसियत से नायब तहसीलदार ने पैरवी की एवं इसी प्रकार अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने भी अपनी अनापत्ति जाहिर की है ।

अतः बहस पक्षकारान सुनी, जवाब तहसीलदार पीपाड़ शहर एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम उदेशनगर के खसरा नम्बर 551 रकबा 1.9173 हैक्टयर गै.मु.भूमि को ग्राम पंचायत कोसाणा के खाते में दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामंद करें, साथ ही ग्राम पंचायत को आदेश दिया जाता है कि ग्राम उदेशनगर के खसरा नम्बर 551 में दर्ज खातेदारो को व्यवस्थित रूप से नियमानुसार कब्जे (पुरातन) के आधार पर पट्टे जारी करावें ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर (SDO)
पीपाड़ (जोधपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner